सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, शुक्रवार, *शाके* 1945-जुलाई 14, 2023 *Asadha 23, Friday , Saka 1945- July 14, 2023*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2023

संख्या एफ.13(14)विशा/विस/2023 :-**राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2023** जैसा कि **दिनांक 14 जुलाई, 2023** को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2023 का विधेयक **सं.14**

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

मेलों के विकास और विनियमन के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 5 के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "नियंत्रण कक्ष" से मेला क्षेत्र में मेला मजिस्ट्रेट का अस्थायी कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "जिला मेला समिति" से धारा 9 के अधीन गठित जिला मेला समिति अभिप्रेत है;

(च) "निधि" से धारा 14 के अधीन यथा गठित मेला विकास और प्रबंध निधि अभिप्रेत है;

(छ) "मेला" से ऐसे मेले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत हैं;

(ज) "मेला क्षेत्र" से कोई मेला संचालित या आयोजित करने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग में लिया गया कोई स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे लगी हुई समस्त भूमियां और भवन सम्मिलित हैं;

(झ) "मेला मजिस्ट्रेट" से धारा 12 के अधीन मेला मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "मेला कालावधि" से जिला मेला समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर मेला संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत कालावधि अभिप्रेत है;

(ट) "आयोजक" से वह व्यक्ति या वे व्यक्ति या न्यास या सोसाइटी या कम्पनी, जो मेला आयोजित करती हो, अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ड) "नियम" से धारा 23 के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 8) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय-2

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3. प्राधिकरण की स्थापना और गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के नाम से, एक प्राधिकरण स्थापित और गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क)	पर्यटन विभाग का प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष;
(ख)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रख्यात और विशिष्ट गैर-सरकारी व्यक्ति, जो मेलों के विकास में रुचि दिखाता हो	उपाध्यक्ष;
(ग)	प्रभारी सचिव, गृह विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(घ)	प्रभारी सचिव, वित्त विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ङ)	प्रभारी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(च)	प्रभारी सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग या संयुक्त सचिव से	

	अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(छ)	प्रभारी सचिव, पर्यटन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ज)	प्रभारी सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(झ)	प्रभारी सचिव, देवस्थान विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ञ)	प्रभारी सचिव, ऊर्जा विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ट)	प्रभारी सचिव, पशुपालन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ठ)	प्रभारी सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ड)	प्रभारी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ढ)	प्रभारी सचिव, अल्पसंख्यक विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ण)	प्रभारी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(त)	प्रभारी सचिव, सहकारिता विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(थ)	प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(द)	प्रभारी सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ध)	प्रभारी सचिव, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(न)	प्रभारी सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(प)	प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग या संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(फ)	पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य;
(ब)	आयुक्त, पर्यटन	सदस्य;
(भ)	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य;

(म)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले तीन प्रख्यात और विशिष्ट गैर-सरकारी व्यक्ति, जो मेलों के विकास में रुचि दिखाते हैं	सदस्य;
(य)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण	सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है, और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित हैं।

(3) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने की, और संविदा करने की, शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(4) उपाध्यक्ष और नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी।

(5) उपाध्यक्ष और नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(6) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

4. प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य.- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जायें।

(2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें या जो उसे अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

5. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी.- (1) राज्य सरकार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में संयुक्त शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियन्त्रण का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किये जायें और प्राधिकरण के विनिश्चयों और अध्यक्ष के निर्देशों का क्रियान्वयन करेगा।

6. प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद.- (1) प्राधिकरण अपने कार्यालय को चलाने और दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए ऐसे स्थायी और अस्थायी कर्मचारिवृंद रखेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजित कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों सहित सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा।

(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृंद मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियन्त्रण के अधीन होंगे।

7. प्राधिकरण की बैठकें.- प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार या अध्यक्ष की वांछा पर, किसी भी समय जब कभी अपेक्षित हो, आयोजित की जा सकेगी।

अध्याय-3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

8. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- (1) प्राधिकरण, मेला के उचित कार्यकरण, विनियमन और प्रबन्धन के लिए विनिश्चय कर सकेगा साथ ही राजस्व स्रोतों के संवर्धन के लिए, सरकार या अन्य स्रोतों से अनुदानों द्वारा निधि की व्यवस्था के लिए नीति निदिष्ट और विनिश्चित कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य में विभिन्न मेलों के आयोजन और यथोचित तथा सुरक्षित प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा। ये मार्गदर्शक सिद्धांत मेलों के आयोजकों के लिए आबद्धकारी होंगे।

(3) प्राधिकरण को किसी मेला को, उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए या इस संबंध में अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपने प्राधिकार के अधीन लाने के लिए सिफारिशें करने की शक्तियां होंगी।

(4) प्राधिकरण ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय-4

जिला मेला समिति

9. जिला मेला समिति.- (1) राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा लिये गये विनिश्चयों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला मेला समिति गठित करेगी।

(2) जिला मेला समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष;
(ख)	पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त	सदस्य;
(ग)	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य;
(घ)	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य;
(ड.)	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण डिस्काम	सदस्य;
(च)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य;
(छ)	क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य;
(ज)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्	सदस्य;
(झ)	जिला उद्योग अधिकारी,	सदस्य;
(ञ)	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी	सदस्य;
(ट)	मेला मजिस्ट्रेट	सदस्य;
(ठ)	सहायक मेला मजिस्ट्रेट	सदस्य;
(ड)	संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक अधिकारी, स्थानीय निकाय	सदस्य;
(ढ)	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य;
(ण)	सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य;

(त)	संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	सदस्य;
(थ)	संबंधित सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य;
(द)	जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य;
(ध)	अग्नि शमन अधिकारी, आपदा प्रंबंधन	सदस्य;
(न)	प्रभारी, जिला नागरिक सुरक्षा इकाई	सदस्य;
(प)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो प्रख्यात और विशिष्ट गैर-सरकारी व्यक्ति जो मेलों के विकास में रूचि दिखाते हैं	सदस्य;
(फ)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य–सचिव।

(3) जिला मेला समिति प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार मेले के आयोजन से संबंधित समस्त विनिश्चय करेगी।

(4) यदि किसी मेले का मेला क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आता है, तो मेले के लिए जिला मेला समिति, प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जायेगी और प्रत्येक जिले का जिला प्रशासन उस जिला मेला समिति के साथ समन्वय और सहयोग करेगा।

(5) नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी।

(6) नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

10. जिला मेला समिति की बैठक.- जिला मेला समिति की बैठक, अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चित किसी भी समय जब कभी अपेक्षित हो, आयोजित की जा सकेगी।

11. जिला मेला समिति के कृत्य.- जिला मेला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी:-

(क) सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रीति से मेले को आयोजित करने के क्रम में मेला क्षेत्र का दौरा करना;

(ख) प्रत्येक मेले की प्रबंध योजना की परीक्षा करना और उसे अंतिम रूप देना तथा अंतिम अनुमोदन के लिए उसे प्राधिकरण को अग्रेषित करना;

(ग) मेले के लिए नवीन प्रस्तावों की परीक्षा करना और उसे अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को अग्रेषित करना;

(घ) मेले के लिए राज्य सरकार से बजट अभिप्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें प्राधिकरण को अग्रेषित करना;

(ड.) प्रत्येक मेले के पश्चात् एक पुनर्विलोकन बैठक आयोजित करना और उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करना; और

(च) प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित अन्य कृत्यों का पालन करना।

12. मेला मजिस्ट्रेट.- (1) जिला मेला समिति का अध्यक्ष, जिले में मेले के आयोजन, नियंत्रण, प्रबंधन और विनियमन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मेले के लिए एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मेला मजिस्ट्रेट के रूप में और उतने अधिकारियों को सहायक मेला मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित करेगा जितने आवश्यक हों।

(2) मेला क्षेत्र में मेला मजिस्ट्रेट का एक अस्थायी कार्यालय होगा, जो नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा।

13. मेला मजिस्ट्रेट की शक्तियां.- (1) प्राधिकरण या जिला मेला समिति के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, मेला मजिस्ट्रेट, मेले के आयोजन से संबंधित समस्त मामलों के संबंध में व्यवस्थाओं को मॉनीटर करेगा और उसे आयोजक या अधिकारी को निम्नलिखित के लिए आदेश देने की भी शक्ति होगी:-

(क) मेला कालावधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए लोक हित में रिक्त स्थान का किराये पर अस्थायी आबंटन;

(ख) मेला क्षेत्र में अवस्थित भवनों का संरक्षण;

(ग) आग बुझाने के लिए जल या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति;

(घ) किसी विस्फोटक सामग्री के प्रवेश या उपयोग को प्रतिषिद्ध करना;

(ड.) खतरनाक संक्रामक रोगों से पीड़ित किसी संदिग्ध व्यक्ति को मेला क्षेत्र से हटाना;

(च) किसी घर, आवास, भवन, जल आपूर्ति स्रोत या संक्रमण के किसी अन्य संदिग्ध स्रोत का विसंक्रामण करना;

(छ) किसी व्यक्ति को कानून और व्यवस्था के आधारों पर मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना या हटाना;

(ज) मानव उपभोग के लिए हानिकारक किसी खाद्य या अन्य पदार्थ को नष्ट करना;

(झ) श्रद्धालुओं को पूजा के धार्मिक स्थानों पर व्यवस्थित और सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित करना; और

(ञ) गतिशील और स्थायी जन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं, विद्युत और जल, सुरक्षा, परिवहन और सड़क की सुगम सेवाओं की व्यवस्था करना।

(2) उप-धारा (1) के किसी भी खण्ड के अधीन किये गये आदेश की प्रति संबंधित आयोजक को उपलब्ध करवायी जायेगी।

अध्याय-5

निधि, लेखा और संपरीक्षा

14. निधि का गठन.-(1) मेला विकास और प्रबंध निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा।

(2) निम्नलिखित धन निधि के भाग होंगे और इसमें संदत्त किये जायेंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अनुदान;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई फीस और अधिभार;

(iii) कोई भी न्यास, वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य अनुदान; और

(iv) प्राधिकरण के निमित्त प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(3) निधि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोजित की जायेगी और अन्यथा नहीं।

15. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार और संधारित किये जायेंगे, जो विहित किये जायें।

(2) प्राधिकरण के लेखे, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार या यथाविहित रीति से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे।

16. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन किये गये अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्यथाशक्य शीघ्र, इसे राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-6

आयोजकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

17. मेलों का आयोजन.- (1) कोई भी आयोजक जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट उप-खंड मजिस्ट्रेट से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी से अनुज्ञा लिये बिना किसी मेले का आयोजन नहीं करेगा।

(2) कोई आयोजक, मेला प्रारंभ होने से तीस दिवस पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मेला आयोजित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करेगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी इसका विनिश्चय सात दिवस की कालावधि के भीतर करेगा।

18. आयोजक के उत्तरदायित्व.- (1) कोई आयोजक मेला आयोजित करने के लिए सुनियोजित योजना बनायेगा और लोक सुरक्षा की विशिष्टताएं निम्नानुसार प्रतिष्ठापित करेगा, अर्थात्:-

(क) मेला क्षेत्र में वाहनों के लिए मूलभूत पार्किंग सुविधा और भिन्न-भिन्न प्रवेश और निकास बिन्दु उपलब्ध कराना;

(ख) सुरक्षा कार्मिक अभिनियोजित करना; और

(ग) अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा अध्युपाय प्रतिष्ठापित करना।

(2) आयोजक अन्य उत्तरदायित्वों का, जो विहित किये जायें, भी वहन करेगा।

(3) आयोजक, अनुज्ञा में यथा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों का, जो नियमों द्वारा विहित किये गये हैं, पालन करेगा।

अध्याय-7

दण्ड और शास्तियां

19. अपराधों के लिए दण्ड.- (1) यदि कोई आयोजक बिना अनुज्ञा के या प्रदान की गयी अनुज्ञा प्रतिसंहृत किये जाने के पश्चात् भी मेले का आयोजन करता है, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) यदि कोई आयोजक अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों की अवज्ञा करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) यदि मेला आयोजन के दौरान आयोजक की उपेक्षा के कारण किसी प्रकार की जीवन-हानि होती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अनुज्ञा के मेला क्षेत्र के भीतर कोई अनधिकृत सन्निर्माण करता है या मेला कालावधि के दौरान ऐसी कारबार अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण करता है या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तदधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन मेला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

20. न्यास या सोसाइटी या कंपनी द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी न्यास या सोसाइटी या कंपनी द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय उस न्यास या सोसाइटी या कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस न्यास या सोसाइटी या कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह न्यास या सोसाइटी या कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिए दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना रोकने के लिए समस्त सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी न्यास या सोसाइटी या कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध न्यास के किसी सदस्य या सोसाइटी के सदस्य या न्यास या सोसाइटी या कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या इनकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां न्यास का ऐसा सदस्य या सोसाइटी का सदस्य या निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय-8
विविध

21. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई से संरक्षण.- राज्य सरकार या प्राधिकरण और जिला मेला समिति के अध्यक्षों या सदस्यों या उक्त प्राधिकरण या समिति के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

22. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान रूप से पूरा किया जा चुका है जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बने रहना अनावश्यक हो गया है, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से –

(क) समस्त आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां और शोध्य जो प्राधिकरण में निहित हों या उसके द्वारा वसूली योग्य हों, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूली योग्य होंगी;

(ख) समस्त देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और

(ग) किसी विकास के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: कार्यान्वित नहीं किया गया है और खण्ड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और शोध्यों

की वसूली के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का राज्य सरकार द्वारा निर्वहन किया जायेगा।

23. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

24. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक और सांस्कृतिक मेले आयोजित किये जाते हैं, जिनमें देश और विदेश, दोनों से बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में, राज्य में कोई प्रभावी निकाय या कोई प्राधिकरण नहीं है जो इन मेलों के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिये कार्य कर सके।

मेहरानगढ़ किला, जोधपुर में मेले के आयोजन के दौरान हुई भगदड़ की दुर्घटना में सैंकड़ों जिन्दगियां चली गयी थीं।

उक्त भगदड़ की दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए और मेलों के आयोजन में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिऐ, राज्य सरकार ने राज्य के मेलों के सुरक्षित आयोजन, विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में एक प्रभावी प्राधिकरण और जिला समितियों के संस्थापन और गठन की आवश्यकता महसूस हुई है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने एक विधायन अर्थात् "राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023" लाने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

विश्वेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(21) विधि/2/2023 जयपुर, दिनांक 23 मई, 2023
प्रेषक: विश्वेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 के खण्ड 3, 6, 8, 9 और 14, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य की संचित निधि में से व्यय अंतर्वलित होगा।

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण की स्थापना के लिये उपगत किये जाने वाले अनावर्ती और आवर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है।

आवर्ती व्यय के लिये लगभग एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये प्रतिवर्ष अपेक्षित होंगे, जिनमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है। इस व्यय के लिये, बजट 2023-24 में एक अनुमानित उपबंध प्रस्तावित किया जा रहा है और कोई अनावर्ती व्यय अपेक्षित नहीं होगा।

विश्वेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, तो ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

धारा	**के संबंध में**
3(5)	उपाध्यक्ष और नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते विहित करना;
4(1)	अध्यक्ष द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जाने वाली प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों को विहित करना;
4(2)	उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जाने वाली प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों को विहित करना;
5(3)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किये जाने वाले कृत्यों को विहित करना;
6(3)	स्थायी और अस्थायी कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों को सम्मिलित करते हुए, सेवा के निबंधन और शर्तें विहित करना;
9(6)	नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते विहित करना;
15(1)	प्राधिकरण के लेखे तैयार और संधारित किए जाने का प्ररूप और रीति विहित करना;
15(2)	प्राधिकरण के लेखों को संपरीक्षित किए जाने की रीति विहित करना;
17(2)	वह प्ररूप और रीति विहित करना, जिसमें कोई आयोजक मेला आयोजित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा;
18(2)	किसी आयोजक द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य उत्तरदायित्वों को विहित करना;
18(3)	आयोजक द्वारा पालन किये जाने वाले अनुज्ञा में उल्लिखित निबंधन और शर्तें विहित करना; और
23(1)	इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्यत: कार्यान्वित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

विश्वेन्द्र सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

मेलों के विकास और विनियमन के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 14 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE MELA AUTHORITY BILL, 2023

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the establishment and constitution of an authority for the purpose of development and regulation of the Melas and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Mela Authority Act, 2023.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Authority" means the Rajasthan State Mela Authority constituted under section 3;
(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
(c) "Chief Executive Officer" means an officer designated as the Chief Executive Officer under section 5;
(d) "control room" means the temporary office of the Mela Magistrate in the Mela area;
(e) "District Mela Committee" means the District Mela Committee constituted under section 9;
(f) "Fund" means the Mela Development and Management Fund as constituted under section 14;
(g) "Mela" means such Melas which are notified by the State Government, for management through the Authority;
(h) "Mela Area" means any place used permanently or temporarily for holding or organising a Mela and includes all lands and buildings appurtenant thereto;
(i) "Mela Magistrate" means an officer designated as a Mela Magistrate under section 12;
(j) "Mela Period" means the period fixed by the Authority for holding the Mela on the basis of recommendation by the District Mela Committee;
(k) "organiser" means the person or persons or Trust or Society or Company who organises Mela;
(l) " prescribed" means as prescribed by rules; and
(m) "rules" means rules made under section 23.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) have the same meanings as assigned to them in that Act.

CHAPTER-II

Establishment and constitution of the Authority

3. Establishment and constitution of the Authority.- *(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish and constitute for the purpose of this Act, an Authority, to be called the Rajasthan State Mela Authority.*

(2) The Authority shall consist of the following, namely:-

(a)	*the Minister in-charge of the Department of Tourism*	*Chairperson;*
(b)	*eminent and distinguished non-government person, who evince interest in development of Melas, to be nominated by the State Government*	*Vice-Chairperson;*
(c)	*the Secretary in-charge, Department of Home or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(d)	*the Secretary in-charge, Department of Finance or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(e)	*the Secretary in-charge, Department of Medical and Health or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(f)	*the Secretary in-charge, Department of Public Works or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(g)	*the Secretary in-charge, Department of Tourism or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(h)	*the Secretary in-charge, Department of Art and Culture or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(i)	*the Secretary in-charge, Department of Devasthan or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(j)	*the Secretary in-charge, Department of Energy or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(k)	*the Secretary in-charge, Department of Animal Husbandry or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(l)	*the Secretary in-charge, Department of Local Self Government or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(m)	*the Secretary in-charge, Department of Urban Development and Housing or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(n)	*the Secretary in-charge, Department of Minorities or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(o)	*the Secretary in-charge, Department of Rural Development and Panchayati Raj or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*

(p)	*the Secretary in-charge, Department of Co-operative or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(q)	*the Secretary in-charge, Department of Transport or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(r)	*the Secretary in-charge, Department of Disaster Management or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(s)	*the Secretary in-charge, Department of Relief and Civil Defence or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(t)	*the Secretary in-charge, Department of Micro, Small and Medium Enterprises or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(u)	*the Secretary in-charge, Department of Information and Public Relations or an officer nominated not below the rank of Joint Secretary*	*Member;*
(v)	*the Director General of Police or an officer nominated not below the rank of Additional Director General of Police (Law and Order)*	*Member;*
(w)	*the Commissioner, Tourism*	*Member;*
(x)	*the Director, Local Bodies*	*Member;*
(y)	*three eminent and distinguished non-government persons, who evince interest in development of Melas, to be nominated by the State Government*	*Members;*
(z)	*Chief Executive Officer, Rajasthan State Mela Authority*	*Member-Secretary.*

Explanation.- *For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.*

(3) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

(4) The term of the Vice-Chairperson and nominated non-government members shall be three years.

(5) The allowances of Vice-Chairperson and nominated non-government members shall be such as may be prescribed.

(6) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur.

4. Powers and functions of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Authority.- (1) The Chairperson of the Authority shall exercise and discharge such powers and functions of the Authority as may be prescribed.

(2) The Vice-Chairperson of the Authority shall exercise and discharge such powers and functions of the Chairperson as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairperson.

5. Chief Executive Officer of the Authority.- (1) The State Government shall designate an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government to be the Chief Executive Officer of the Authority.

(2) The Chief Executive Officer shall exercise direct supervision and control over all officers and employees of the Authority.

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed and implement the decisions of the Authority and the directions of the Chairperson.

6. The Staff of the Authority.- *(1) The Authority shall have such permanent and temporary staff to run its office and day to day work.*

(2) The Authority may, with the approval of State Government, create posts of the officers and employees of the Authority.

(3) The terms and conditions of the service including the salaries and allowances of the staff appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(4) For the purpose of carrying out its functions under this Act the Authority may requisition the services of any officer or employee with the approval of the State Government.

(5) The staff referred to in sub-section (1) shall be under the administrative and disciplinary control of the Chief Executive Officer.

7. Meetings of the Authority.- The meeting of the Authority may be held at least once every six months or as and when required at any time at the desire of the Chairperson.

CHAPTER-III

Powers and functions of the Authority

8. Powers and functions of the Authority.- *(1) The Authority may take decision, for proper functioning, regulation and management of Mela, as well as direct and decide policy for the augmentation of revenue sources, arrangement of fund by grants from the Government or other sources.*

(2) The Authority shall frame guidelines for, proper and safe management and, organisation of various Melas in the State. These guidelines shall be binding on the organisers of a Mela.

(3) The Authority shall have powers to make recommendations for bringing any Mela under its authority, considering its cultural, social and religious importance or on the basis of receipt of information in this regard from other sources.

(4) The Authority shall exercise such other powers and perform such other functions as may be necessary for carrying out the provisions of this Act.

CHAPTER-IV

District Mela Committee

9. District Mela Committee.- *(1) The State Government shall constitute a District Mela Committee in each district for the implementation of the decisions taken by the Authority.*

(2) The District Mela Committee shall consist of the following, namely:-

(a)	*District Collector and District Magistrate*	*Chairperson;*
(b)	*Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police*	*Member;*
(c)	*Superintending Engineer, Public Works Department*	*Member;*
(d)	*Superintending Engineer, Public Health and Engineering Department*	*Member;*
(e)	*Superintending Engineer, Electricity Distribution DISCOM*	*Member;*
(f)	*Chief Medical and Health Officer*	*Member;*
(g)	*Regional/District Transport Officer*	*Member;*
(h)	*Chief Executive Officer, Zila Parishad*	*Member;*
(i)	*District Industries Officer*	*Member;*
(j)	*Deputy Registrar, Co-operative Societies*	*Member;*
(k)	*Mela Magistrate*	*Member;*
(l)	*Assistant Mela Magistrate*	*Member;*
(m)	*Concerned Chief Executive Officer/ Executive Officer, Local Body*	*Member;*
(n)	*Block Development Officer*	*Member;*
(o)	*Assistant Director, Animal Husbandry Department*	*Member;*
(p)	*Concerned Assistant Commissioner, Devasthan Department*	*Member;*
(q)	*Concerned Assistant Director, Tourism Department*	*Member;*
(r)	*Public Relations Officer*	*Member;*
(s)	*Fire Officer, Disaster Management*	*Member;*
(t)	*In-charge, District Civil Defence Unit*	*Member;*
(u)	*two eminent and distinguished non-government persons, who evince interest in development of Melas, to be nominated by the District Collector and District Magistrate*	*Members;*

(v)	*Additional District Collector and District Magistrate to be nominated by the District Collector and District Magistrate*	*Member-Secretary.*

(3) The District Mela Committee shall take all decisions regarding organising of Mela as per the instructions given by the Authority from time to time.

(4) If the Mela area of any Mela falls in more than one district, the District Mela Committee for the Mela shall be determined by the Authority and district administration of each district shall co-ordinate and co-operate with that District Mela Committee.

(5) The term of the nominated non-government members shall be three years.

(6) The allowances of nominated non-government members shall be such as may be prescribed.

10. Meeting of the District Mela Committee.- The meeting of the District Mela Committee may be held as and when required at any time as decided by the Chairperson.

11. Functions of District Mela Committee.- The District Mela Committee shall perform the following functions:-

(a) to visit Mela area in order to organise the Mela in a safe, peaceful and orderly manner;
(b) to examine and finalise the management plan of each Mela and forward it to the Authority for final approval;
(c) to examine fresh proposals for Mela and forward it to the Authority for approval;
(d) to prepare proposals for obtaining budget from the State Government for the Mela and forward it to the Authority;
(e) to hold a review meeting after each Mela and submit its report to the Authority; and
(f) to perform other functions assigned by the Authority.

12. Mela Magistrate.- (1) The Chairperson of the District Mela Committee shall designate one Executive Magistrate as Mela Magistrate and as many officers as Assistant Mela Magistrate for each Mela as per requirement for the purpose of holding, controlling, managing and regulating Mela in a district.

(2) The Mela Magistrate shall have a temporary office in the Mela area which shall function as a control room.

13. Powers of the Mela Magistrate.- (1) Subject to the direction, control and supervision of the Authority or the District Mela Committee, the Mela Magistrate shall monitor the arrangements in respect of all matters relating to the organising of the Mela and shall also have the power to order to organiser or officer for:-

(a) temporary allotment of free space on rent in public interest for various purposes during the Mela period;
(b) protection of buildings situated in the Mela area;
(c) supply of water and any other material for extinguishing the fire;
(d) prohibiting of entry or use of any explosive material;
(e) removal of any suspected person suffering from dangerous infectious diseases from the Mela area;
(f) disinfecting any house, residence, building, source of water supply or any other suspected source of infection;
(g) stopping or removing any person from entering the Mela area on grounds of law and order;
(h) destruction of any food or other material injurious to human consumption;

(i) ensuring systematic and safe darshan of devotees at religious places of worship; and

(j) arrangement of movable and permanent public facilities, medical facilities, electricity and water, security, transport and easy services of the road.

(2) A copy of the order made under any clause of sub-section (1) shall be made available to the orgniser concerned.

CHAPTER-V

Fund, Account and Audit

14. Constitution of Fund.*- (1) There shall be constituted a Fund to be called the Mela Development and Management Fund.*

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the Fund, namely:-

(i) any grants received from the State Government or the Central Government;

(ii) any fee and surcharge received by the Authority under this Act;

(iii) any trust, bequests, donations, endowments and other grants; and

(iv) any other sums received on behalf of the Authority.

(3) The Fund shall be applied for the purposes of this Act and not otherwise.

15. Accounts and audit.- (1) The accounts of the Authority shall be prepared and maintained in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) or in the manner as may be prescribed.

16. Annual Report.- (1) The Authority shall prepare every year a report of its activities under this Act during that year and submit the report to the State Government.

(2) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of a report under sub-section (1), cause the same to be laid before the House of the State Legislature.

CHAPTER-VI

Duties and responsibilities of organisers

17. Organising of Melas.- (1) No organiser shall organise a Mela without taking permission from the District Magistrate or any officer nominated by the District Magistrate not below the rank of Sub-Divisional Magistrate.

(2) An organiser shall make application for permission of organising a Mela thirty days before the start of Mela in such form and such manner as may be prescribed. After receiving the application the District Magistrate or any officer nominated by the District Magistrate shall decide it within a period of seven days.

18. Responsibilities of organiser.- (1) An organiser shall make systematic planning for organising a Mela and install public safety features as follows, namely:-

(a) provide basic parking facility for vehicles and different entry and exit points in Mela area;

(b) deploy security personnel; and

(c) install fire prevention and life safety measures.

(2) An organiser shall also bear other responsibilities as may be prescribed.

(3) An organiser shall obey the terms and conditions, as mentioned in the permission, which are prescribed by rules.

CHAPTER-VII

Punishment and penalties

19. Punishment for offences.- (1) If an organiser organises a Mela without permission, or even after the permission granted is revoked, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or both.

(2) If any organiser disobeys the terms and conditions of the permission, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or both.

(3) If any kind of loss of life is caused due to negligence of organiser during organising a Mela, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(4) If any person who carries out any unauthorised construction within the Mela area without any permission or violates the terms and conditions of such business licence during the Mela period or contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder shall be punishable with a simple imprisonment, which may extend to three months or fine or both.

(5) No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the Mela Magistrate.

20. Offence by Trust or Society or Company.- (1) Where an offence has been committed by a Trust or Society or Company under this Act, every person, who at time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the Trust or Society or Company for the conduct of the business of the Trust or Society or Company, as well as the Trust or Society or Company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a Trust or Society or Company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any member of Trust or member of Society or Director, Manager, Secretary or other officer of the Trust or Society or Company, such member of Trust or member of Society or Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER-VIII

Miscellaneous

21. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Chairpersons or Members of the Authority and District Mela Committee or any other employee or officer acting under the direction of the said Authority or Committee, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rule made thereunder.

22. Dissolution of Authority.- (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Authority in the opinion of the State Government is unnecessary, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the

Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date-

(a) all assets, properties, funds and dues which are vested in or realisable by the Authority shall vest in, or be realisable by the State Government;
(b) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and
(c) for the purpose of carrying out any development which has not been fully carried out by the Authority and for the purpose of realising assets, properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Authority shall be discharged by the State Government.

23. Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

24. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Many religious and cultural Melas are organised in the State of Rajasthan every year in which a large number of people both from the country and abroad enthusiastically involve themselves with the local people. At present, there is no effective body or any authority in the State that can work for the development, management and regulation of these Melas.

Hundreds of lives were lost in the stampede accident during the organising of the Mela in Mehrangarh Fort, Jodhpur.

Keeping in view the said stampede accident and for avoiding recurrence of such kinds of accidents in organising the Melas, the State Government has felt the necessity of establishment and constitution of an effective Authority and District Committees in each district of the State for the safe organising, development, management and regulation of Melas of the State. Thus, the State Government has decided to bring a legislation, namely "The Rajasthan State Mela Authority Bill,2023".

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

विश्वेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(21) विधि/2/2023 जयपुर, दिनांक 23 मई, 2023
प्रेषक: विश्वेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 3, 6, 8, 9 and 14 of the Rajasthan State Mela Authority Bill, 2023, if enacted, shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Non-recurring and recurring expenditure to be incurred for the establishment of the Rajasthan State Mela Authority have been computed.

An approximately rupees one crore fifteen lakh per year may be required for recurring expenditure, which may grow with time. For this expenditure, an approximate provision is being proposed in budget 2023-24 and No non-recurring expenditure shall be required.

विश्वेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the matter enumerated against each of such clauses:-

Section	With respect to
3(5)	prescribing the allowances of Vice-Chairperson and nominated non-government members;
4(1)	prescribing the powers and functions of the Authority to be exercised and discharged by the Chairperson;
4(2)	prescribing the powers and functions of the Chairperson of the Authority to be exercised and discharged by the Vice-Chairperson;
5(3)	prescribing the powers and functions to be exercised and performed by Chief Executive Officer;
6(3)	prescribing the terms and conditions of the service including the salaries and allowances of the permanent and temporary staff;
9(6)	prescribing the allowances of nominated non-government members;
15(1)	prescribing the form and manner to be prepared and maintained the accounts of the Authority;
15(2)	prescribing the manner in which the accounts of the Authority to be audited;
17(2)	prescribing the form and manner in which an organiser shall make application for permission of organising a Mela;
18(2)	prescribing the other responsibilities to be borne by an organiser;
18(3)	prescribing the terms and conditions mentioned in the permission to be obeyed by an organiser; and
23(1)	generally carrying out the purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

विश्वेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for the establishment and constitution of an authority for the purpose of development and regulation of the Melas and for matters connected therewith or incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.